गैर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा ऋण योजना

क्र.सं	मानदंड	मानदंडों का विवरण
1.	सुविधा का उद्देश्य	उन विद्यार्थियों को दी जाती है जो भारतीय राष्ट्रिक हैं :- 1. जिन्होंने एचएससी (10+2 या समतुल्य) पूरा करने के बाद प्रवेश परीक्षा/मेरिट आधार पर चयन प्रक्रिया द्वारा भारत या विदेश में मान्यता प्राप्त संस्थानों में उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त किया है. या 2. जिन्होंने मैनेजमेंट कोटा के अंतर्गत प्रवेश प्राप्त किया हो यद्यपि वे मेरिट कोटा के अंतर्गत निश्चित प्रवेश के लिए योग्य थे , अर्थात् उन्होंने उस शैक्षणिक संस्थान/कार्यक्रम के लिए सामान्य/एससी/एसटी/ओबीसी/कन्या विद्यार्थियों के लिए मेरिट आधार पर प्रवेश के लिए विनिर्दिष्ट आवश्यक कट-ऑफ स्तर से अधिक अंक हासिल किए हैं.
2.	पात्र पाठ्यक्रम	**<u>भारत में अध्ययन : (सांकेतिक सूची)</u>** • यूजीसी/ सरकारी/ एआईसीटीई/ एआईबीएमएस/ आईसीएमआर आदि द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री और स्नातकोत्तर डिप्लोमा हेतु अनुमोदित पाठ्यक्रम. • पाठ्यक्रम जैसे आईसीडबल्यूए, सीए, सीएफ़ए आदि. • अन्य रोजगार उन्मुख पाठ्यक्रम जो आगे चलकर मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा प्रस्तावित तकनीकी/व्यवसायिक डिग्री/डिप्लोमा में ले जा सकें. • दसवीं कक्षा पूर्ण करने के बाद अनुमोदित पॉलिटैक्निक संस्थानों द्वारा प्रस्तावित तकनीकी डिप्लोमा पाठ्यक्रम(सामान्यतः 3 वर्ष). • भारत में प्रतिष्ठित विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम. • ऐसे पाठ्यक्रमों के मामले में जिनका कुछ हिस्सा भारत और कुछ विदेश में पूर्ण होता हो, देशी पाठ्यक्रम और संस्थान की प्रामाणिकता पर ध्यान दिया जाएगा. **<u>विदेश में अध्ययन</u>** • स्नातक :प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों द्वारा प्रस्तावित रोजगार उन्मुख व्यवसायिक/तकनीकी पाठ्यक्रम • स्नातकोत्तर : एमसीए, एमबीए, एमएस, आदि अनुमोदित स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी पात्र हैं. • सीआईएमए - लंदन, यूएसए में सीपीए आदि द्वारा संचालित पाठ्यक्रम. **<u>विशेष पाठ्यक्रम</u> :** भारत/विदेश में रोजगार के उद्देश्य से सक्षम नियामक संस्था द्वारा मान्यता प्राप्त

<table>
<tr><th>क्र.सं</th><th>मानदंड</th><th>मानदंडों का विवरण</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>नियमित डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम जैसे एरोनॉटिकल , पायलट प्रशिक्षण , शिपिंग आदि.</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>वित्त की राशि</td><td>अभिभावकों/विद्यार्थियों की चुकौती क्षमता के अधीन मार्जिन के साथ आवश्यकतानुसार वित्त जिसकी अधिकतम सीमा निम्नानुसार है:
क. भारत में अध्ययन - अधिकतम रु 10 लाख.
ख. विदेश में अध्ययन - अधिकतम रु 20 लाख.
टिप्पणी: एक्जीक्युटिव कार्यक्रम के मामले में भारत और विदेश में अधिकतम वित्तपोषण 20 लाख रु. से अधिक नहीं होगा.</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>चुकौती की शर्तें</td><td><u>अधिस्थगन अवधि:</u>
पाठ्यक्रम की अवधि + रोजगार प्राप्त करने के 1 वर्ष या 6 माह बाद , जो भी पहले हो.
<u>चुकौती अवधि :</u>
अधिस्थगन अवधि की समाप्ति के बाद चुकौती अवधि निम्नानुसार होगी :
रु. 7.5 लाख तक ऋण के लिए: 10 वर्ष तक
रु. 7.5 लाख से अधिक के लिए: 15 वर्ष तक</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>ऋण मार्जिन</td><td><table>
<tr><th>अध्ययन का स्थान</th><th>ऋण राशि</th><th>ऋण मार्जिन</th></tr>
<tr><td rowspan="2">भारत</td><td>रु. 4 लाख तक</td><td>कुछ नहीं</td></tr>
<tr><td>रु. 4 लाख से अधिक</td><td>कुल पाठ्यक्रम शुल्क का 5%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">विदेश</td><td>रु. 4 लाख तक</td><td>कुछ नहीं</td></tr>
<tr><td>रु. 4 लाख से अधिक</td><td>पाठ्यक्रम शुल्क का 15%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">आंशिक भारत/विदेश</td><td>रु. 4 लाख तक</td><td>कुछ नहीं</td></tr>
<tr><td>रु. 4 लाख से अधिक</td><td>पाठ्यक्रम शुल्क का 5%</td></tr>
</table>
छात्रवृत्ति/असिस्टेंटशिप मार्जिन में शामिल की जाएगी.
आनुपातिक आधार पर संवितरण किए जाने पर और वर्षानुवर्ष आधार पर मार्जिन राशि लायी जा सकती है.</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>प्रतिभूति</td><td>रु. 4 लाख तक : कोई प्रतिभूति नहीं
रु. 4 लाख से अधिक और रु.7.5 लाख तक : अन्य पक्ष गारंटी
रु. 7.5 लाख से अधिक : भूमि/बिल्डिंग के रूप में संपार्श्विक प्रतिभूति(न्यूनतम मूल्य मांगी गई ऋण राशि का 1.33 गुना होना चाहिए)/ सरकारी प्रतिभूति/ सार्वजनिक क्षेत्र बॉन्ड/ यूटीआई, एनएससी, केवीपी, एलआईसी पॉलिसी, स्वर्ण, शेयर इकाई/ म्यूचुअल फ़ंड इकाई/ लाभांश , विद्यार्थी/ अभिभावक या अन्य पक्ष के नाम</td></tr>
</table>

क्र.सं	मानदंड	मानदंडों का विवरण
		पर बैंक में जमा (मांगी गई ऋण राशि से कम से कम 1.1 गुना मूल्य का हो.) या उचित मार्जिन के साथ अन्य दूसरी मूर्त प्रतिभूति जो बैंक को स्वीकार हो. संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में दी गई भूमि, कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए.
7.	**व्ययों के लागू शीर्ष**	क. महाविद्यालय/ विद्यालय/ हॉस्टल को देय शुल्क. ख.परीक्षा/ पुस्तकालय/ प्रयोगशाला शुल्क. ग.पुस्तकें/ उपकरणों/ यंत्रों/ गणवेशों की खरीद. **घ.** कॉशन डिपॉज़िट/बिल्डिंग फंड/वापस किया जानेवाला डिपॉज़िट जिनके लिए संस्था के बिल / रसीदें हों- इस शर्त पर कि यह राशि पू रे पाठ्यक्रम के कुल शुल्क के 10% से अधिक न हो. ङ विदेश में अध्ययन के लिए यात्रा व्यय/पैसेज मनी. च.कम्प्युटर की खरीद- पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए आवश्यक. छ.पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए कोई अन्य व्यय **- जैसे अध्ययन दौरा ,** परियोजना कार्य, थीसिस आदि ज.**उधारकर्ता विद्यार्थी हेतु बीमा प्रीमियम**, **यदि बीमा सुरक्षा मांगी गई हो**. *टिप्पणी : ङ च छ ज शीर्षों के अंतर्गत अधिकतम व्यय पाठ्यक्रम की समाप्ति के लिए देय कुल ट्यूशन शुल्क* ***के*** *20% तक सीमित होगा.*
8.	**प्रोसेसिंग शुल्क**	भारत में अध्ययन के लिए : **कुछ नहीं** विदेश में अध्ययन के लिए : ऋण राशि का 1% जिसकी अधिकतम राशि रु. 5000/- होगी + लागू सेवा कर लिया जाएगा और संवितरण के समय (बिना सेवा कर के) वापस किया जाएगा.
9.	**प्रभार**	क. बंधक प्रभार, दस्तावेजीकरण/ स्टैम्प शुल्क : ग्राहक द्वारा वहन किए जाने वाले वास्तविक व्यय ख.संस्थान बदलने के लिए प्रभार : रु.250/-
10.	**पूर्व भुगतान मानदंड**	किसी भी समय बिना पूर्व भुगतान / **पुरोबंध** प्रभार के संवितरित राशि की चुकौती की अनुमति है.
11.	**चुकौती का तरीका**	केवल स्थायी अनुदेश (एसआई).
12.	**सह-आवेदक**	संयुक्त उधारकर्ता के रूप में विद्यार्थी और अभिभावक/संरक्षक दोनों के द्वारा ऋण दस्तावेज़ निष्पादित किए जाएंगे. सभी ऋणों के लिए सह-आवेदक अनिवार्य है.
13.	**दस्तावेज़**	1. पूरा भरा हुआ आवेदन फॉर्म. 2. उधारकर्ता से यह घोषणा/शपथ पत्र लिया जाए कि उन्होंने अन्य बैंकों से शिक्षा ऋण नहीं लिया है. **क. <u>आवेदक:</u>** - आयु का प्रमाण

क्र.सं	मानदंड	मानदंडों का विवरण
		- पहचान का प्रमाण - पते का प्रमाण - अंतिम अर्हता परीक्षा की अंक सूची - प्रवेश का प्रमाण, छात्रवृत्ति, अधिछात्रवृत्ति आदि - विनिर्दिष्ट पाठ्यक्रम के लिए व्यय अनुसूची **ख <u>सह-आवेदक :</u>** पिछले चार महीने का प्रमाणित बैंक खाता विवरण (सह-आवेदक के पास 4 महीनों से कम के बैंकिंग विवरण होने पर अंतरराशि प्रदान नहीं की जाएगी) - पहचान का प्रमाण - आयु का प्रमाण - रोजगार सह व्यवसाय का प्रमाण आय का प्रमाण : वेतनभोगी -पिछले 2 माह की वेतन पर्ची और फॉर्म 16 स्वरोजगार करने वाले-1) अनुसूचियों के साथ पिछले 2 वित्तीय वर्ष का लाभ हानि खाता और तुलन पत्र. 2) पिछले 2 वर्षों की आय कर विवरणियाँ कृषि आय : आयकर विवरणियाँ, सक्षम अधिकारी से प्रमाणित आय दस्तावेज़ (जैसे तलाठी) आदि.